राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

कमांक : एफ 18(24) / निजभूस / IWMP / 2014–15 / 2375-2488 दिनांक : 12/3/2015

समस्त परियोजना प्रबंधक एवं
पदेन अधीक्षण अभियंता,
वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद।

विषय : आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधि में स्थापित हैण्डपम्प के संचालन के फलस्वरूप पानी से होने वाली गन्दगी को रोकने बाबत् ।

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यकम (आईडब्ल्यूएमपी) के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी "समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 यथा संशोधित 2011" के पैरा 50 के अनुसार प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत पेयजल की उपलब्धता बढाने एवं भू–जल शक्यता का संवर्धन करने से संबंधित कार्यो को लिए जाने का उल्लेख है। उक्त प्रावधानों के अनुसरण में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अंतर्गत हैण्डपम्प भी जन सुविधा के लिए ग्राम सभा की मांग के अनुरूप स्थापित किये जाते है।

इन हैण्डपम्प के संचालन के दौरान पानी फैलने से हैण्डपम्प के आस–पास गन्दगी हो जाती है जो कि उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि परियोजना क्षेत्र में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अंतर्गत स्थापित हैण्डपम्प से निकलने वाले पानी को सोकपिट बनाकर उसमें निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ताकि बिखरे जल से गन्दगी नहीं फैले। साथ ही हैण्डपम्प के आस–पास पौधारोपण करवाया जावें जिससे बिखरे जल का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उक्त कार्य प्राथमिकता पर लिये जाकर इन्हें परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भी सम्मिलित करवाया जावें।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं इसकी अनुपालना रिपोर्ट भी निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

12.3.15
(एम.एस. काला)
निदेशक

कमांक : एफ 18(24) / निजभूस / IWMP / 2014–15 / 2375-2488 दिनांक : 12/3/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राज.,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राज.,जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग,राज.,जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज., जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक(आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबंधक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को आपके अधीन सभी फील्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर अनुपालना सुनिश्चित करावें।
10. एस.सी.पी. निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

12.3.15
निदेशक